

एफ. सं. 7/3/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य कर विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 06.06.2024

सभी इच्छुक पक्ष,

विषय: थाईलैंड में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन से कम आकार के एल्युमीनियम फॉयल" के आयात पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क की मध्यावधि समीक्षा के संबंध में पीयूसी/पीसीएन कार्यप्रणाली।

1. यह दिनांक 29.03.2024 की आरंभिक अधिसूचना संख्या 7/3/2024-DGTR का संदर्भ है, जिसके अनुसार आरंभिक अधिसूचना में प्रस्तावित PUC और PCN पर सभी इच्छुक पक्षों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं। इच्छुक पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों की जाँच की गई और विचाराधीन उत्पाद के दायरे और PCN पद्धति को अंतिम रूप देने के लिए 8 मई 2024 को सुबह 11:30 बजे एक बैठक आयोजित की गई।
2. इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के आलोक में, विचाराधीन उत्पाद का अंतिम दायरा निम्नानुसार होगा:

एल्युमिनियम फॉयल, चाहे वह मुद्रित हो या नहीं, कागज, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक या इसी तरह की पैकिंग सामग्री से समर्थित हो, जिसकी मोटाई 80 माइक्रोन या उससे कम हो (अनुमेय सहनशीलता के साथ)" निम्नलिखित को छोड़कर:

- i. चीन से आयातित 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की मोटाई वाली एल्युमीनियम पन्नी ।
- ii. अलू-अलू लैमिनेट

- iii. अल्ट्रा-लाइट गेज परिवर्तित
- iv. एल्युमिनियम फॉयल कम्पोजिट
- v. 500 मिमी से कम चौड़ाई वाले कैपेसिटर के लिए एल्युमिनियम फॉयल
- vi. नक्काशीदार या गढ़ी हुई एल्युमीनियम पन्नी
- vii. एल्युमिनियम मिश्रित पैनल
- viii. संगत गैर-क्लैड एल्युमीनियम फॉयल से लिपटा हुआ
- ix. बियर की बोतल के लिए एल्युमिनियम फॉयल
- x. एल्युमिनियम- मैंगनीज- सिलिकॉन आधारित और, / या क्लैड एल्युमिनियम- मैंगनीज- सिलिकॉन आधारित मिश्र धातु, चाहे क्लैड हो या अनक्लैड
- xi. चिपकाने वाला टेप
- xii. रंग लेपित एल्युमीनियम पन्नी - या तो एक तरफ या दोनों तरफ, रंग, आकार या कोटिंग की परवाह किए बिना
- xiii. पॉलीयूरेथेन लेपित एल्युमीनियम पन्नी - एक तरफ या दोनों तरफ, रंग, आकार या कोटिंग की परवाह किए बिना।

3. इसके अलावा, जैसा कि ऊपर दिया गया है, वर्तमान जांच में पीसीएन-वार कार्यप्रणाली निम्नानुसार होगी:

एस. एन.	प्रकार का पन्नी	माइक्रोन श्रेणी	नगा / परिवर्तित	पीसीएन कोड्स
1	आलू आलू स्टॉक/फ़ॉइल	45- 60	नंगे पन्नी	एसबीएफ
2	घर फ़ॉइल/होम पन्नी	8- 22	नंगे पन्नी	एचएफबीएफ
3	रोशनी गेज (एलजी)	7- < 20	नंगे पन्नी	एलजीबीएफ
4	मध्यम गेज (एमजी)	20- 60	नंगे पन्नी	एमजीबीएफ
5	अर्द्ध कठोर पात्र (एसआरसी)	30- 80	नंगे पन्नी	एसआरबीएफ
6	अल्ट्रा लाइट गेज नगा	5.5- <7	नंगे पन्नी	यूजीबीएफ
7	अल्ट्रा लाइट गेज नगा	5.5 से नीचे	नंगे पन्नी	यूएलबीएफ
8	बैटरी पन्नी	9- 20	नंगे पन्नी	बीएफबीएफ
9	*कोई अन्य नंगा पन्नी (नहीं गिर रहा है एस. सं. के भीतर 1- 8)		नंगे पन्नी	ओएफबीएफ
10	सिगरेट पन्नी	नीचे 7	परिवर्तित	क्फकफ
11	घर घर पन्नी परिवर्तित	8- 22	परिवर्तित	एचएफसीएफ
12	एसआरसी परिवर्तित	30- 80	परिवर्तित	एसआरसीएफ

१३	मध्यम गेज (एमजी) परिवर्तित	20- 60	परिवर्तित	एमजीसीएफ
14	रोशनी गेज (एलजी) परिवर्तित	7- <20	परिवर्तित	एलजीसीएफ
15	बैटरी पन्नी परिवर्तित	9- 20	परिवर्तित	बीएफसीएफ
16	कोई अन्य परिवर्तित पन्नों (नहीं गिर रहा है क्रम संख्या 10-15 के अंतर्गत)		परिवर्तित	ओएफसीएफ

* स्तंभ संख्या 2 में परिभाषित किसी भी प्रकार के एल्युमीनियम फॉयल के मामले में, जिसमें स्तंभ संख्या 3 में दी गई माइक्रोन सीमा नहीं है, उसे उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 9 और 16 के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

- सभी इच्छुक पक्षों को यह भी सूचित किया जाता है कि यह अंतिम पीसीएन/पीयूसी अधिसूचना है। इसके अलावा, पीसीएन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा किसी भी संशोधन/टिप्पणी/तर्क पर विचार नहीं किया जाएगा।
- उपरोक्त के मद्देनजर, सभी इच्छुक पक्षों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त पीसीएन/पीयूसी के अनुसार 20 जून, 2024 तक प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें। चूंकि एंटी-डॉपिंग जांच समयबद्ध है, इसलिए प्राधिकरण द्वारा प्रश्नावली के जवाब दाखिल करने के लिए समय में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।
- यह निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एसडी/-
राजीव कुमार सोनी
निदेशक (एफटी)
ईमेल: jd12-dgtr@gov.in
फ़ोन: 011-23408728